संख्या : 540बी / क0नि0–6–2017–01(बी) / 2017

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त,
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
   वित्त, संस्थागत वित्त, कृषि, सहकारिता, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, राजस्व
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0,
4 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0,
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0प्र0,

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 दिनांक : २५ जून, 2017

विषयः–प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमांत किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में विकास के नये आयाम स्थापित करने के लिये कृषि को विकास का आधार बनाये जाने के निमित्त लोक कल्याण संकल्प पत्र में की गयी उद्घोषणा की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से लघु एवं सीमांत किसानों के उन्नयन एवं उनके सतत् विकास के लिये उनके फसली ऋण के मोचन का निर्णय शासनादेश सं0–134बी / 01(बी)सं0वि0क0नि0–06 / 2017 दिनांक 07 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रसारित करते हुये विषयगत मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था तथा कार्यालय ज्ञाप सं0–298 (1) / 10–17–20सं0वि0क0नि0–06 / 2017 दिनांक 09 मई, 2017 द्वारा समिति के निदेश पद (Terms of Reference) निर्धारित किये गये थे। समिति से योजना के क्रियान्वयन हेतु संगत पहलुओं पर विचार कर योजना के स्वरूप के निर्धारण करने और योजना के वित्त पोषण के लिये आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था किये जाने के लिये सुविचारित प्रस्ताव की अपेक्षा की गयी थी। समिति की संस्तुतियों के आधार पर मामले में सुविचारित योजना

निर्धारित की गयी है जो आवश्यक प्रभावी कार्यवाही हेतु संलग्न है। फसली ऋण मोचन के इस दस्तावेज में योजना का स्वरूप, किसानों की पात्रता, कियान्वयन की रूपरेखा, हितधारकों के रूप में कृषि विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, राजस्व विभाग, एन.आई.सी., ऋण प्रदाता संस्थाओं आदि की भूमिका एवं दायित्व तथा शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देशों का समावेश किया गया है।

2. इस योजना के कियान्वयन हेतु जिला, मण्डल और राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। समितियों के उत्तरदायित्वों का उल्लेख दस्तावेज में स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया गया है।

3. योजना के कियान्वयन हेतु कृषि विभाग को नोडल विभाग नामित किया गया है, जो अपने आय–व्ययक में योजना के पोषण हेतु आवश्यक धनराशि का प्राविधान करायेगा और निस्तारण करेगा तथा संप्रेक्षण की कार्यवाही भी अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा। योजना से संबंधित अन्य विषयों पर कार्यवाही कृषि विभाग द्वारा की जायेंगी।

4. योजना से संबंधित शिकायतों का निवारण जिला/मण्डलीय स्तरीय गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण कृषि विभाग करेगा।

5. लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत् विकास के लिए ऋण मोचन की उपरोक्त योजना में समय–समय पर यथा आवश्यकता अनुसार किसी उपातंरण, परिवर्तन, संशोधन करने या स्पष्टीकरण जारी करने के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

अतएव उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में समुचित आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करने का कष्ट करें ताकि योजना के उद्देश्यों को सुगमता से प्राप्त किया जा सके।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव।

संख्या–   /क0नि0–6–2017–01(बी)/2017/तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को योजना के दस्तावेज की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. संचिव, वित्त विभाग (श्री मुकेश मित्तल)।
3. विशेष सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. विशेष सचिव, वित्त विभाग (श्री नील रतन कुमार)।
6. विशेष सचिव, गोपन, अनुभाग–1
7. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0 को समस्त ऋण प्रदाता संस्थाओं को प्रेषण हेतु।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 डेस्को।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।

आज्ञा से,

A Pandey

(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव,
संस्थागत वित्त विभाग।

उत्तर प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमांत किसानों के उन्नयन व सतत् विकास

हेतु

फसल ऋण मोचन योजना

विषय सूची

कमांक	विषय	पृष्ठ सं.
1	आद्यक्षर एवं संक्षिप्त	(i)
2	पृष्ठभूमि	1
3	अति महत्वपूर्ण परिभाषायें	2
4	योजना	3-4
5	हितधारकों की भूमिका एवं दायित्व	5-12
6	कार्यान्वयन प्रकिया	13-16
7	शिकायत निवारण पोर्टल	17-19
8	योजना के लिए वित्तीय संसाधन	20
9	किसानों के सशक्तीकरण हेतु रोडमैप	21-22
10	योजना में उपांतरण और स्पष्टीकरण	23
परिशिष्ट		
11	परिशिष्ट–1कः लघु एवं सीमांत किसानों के लिए डाटा टेम्पलेट	25
12	परिशिष्ट–1खः लघु एवं सीमांत किसानों के एन.पी.ए. हेतु डाटा टेम्पलेट	26
13	परिशिष्ट–2 : भूलेख डाटा टेम्पलेट	27
14	परिशिष्ट–3 : एनआईसी डाटा चेक सेट	28
15	परिशिष्ट–4: बैंक प्रमाण पत्र	29
16	परिशिष्ट–5: क्रेडिट विवरण पत्र	30
17	परिशिष्टि–कः ऋण मोचन का विवरण पत्र	31
18	परिशिष्टि–खः ऋण संबंधी सूचना पत्र	32
19	परिशिष्टि–गः 'आधार' सहमति पत्र	33

आद्यक्षर एवं संक्षिप्त	
ए.डी.एम	अपर जिला मजिस्ट्रेट
सी.डी.ओ	मुख्य विकास अधिकारी
डी.आई.एफ	संस्थागत वित्त महानिदेशालय
डी.डी.ए	उप निदेशक कृषि
डी.ए.ओ	जिला कृषि अधिकारी
डी.सी.ओ	जिला गन्ना अधिकारी
डी.डी.ओ	आहरण एवं वितरण अधिकारी
डी.एच.ओ	जिला उद्यान अधिकारी
डी.आई.ओ	जिला सूचना अधिकारी
डी.एल.सी	जिला स्तरीय समिति
डी.एम.	जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी
एफ.वाई.	वित्तीय वर्ष
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.ओ.यूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
जी.ओ.	शासनादेश
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद
जी.एस.डी.पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
रू0	भारतीय रूपया
जे.एल.जी	संयुक्त दायित्व समूह
के.सी.सी.	किसान केडिट कार्ड
एल.डी.एम	अग्रणी जिला प्रबंधक
एम.आई.एस	प्रबन्धन सूचना तंत्र
एम.एल.सी	मण्डल स्तरीय समिति
एम.एफ.आई	सूक्ष्म वित्तीय संस्थायें
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एन.आई.सी.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एन.पी.ए.	गैर निष्पादित आस्तियॉ
ओ.टी.पी.	वन टाइम पासवर्ड
आर.आर.बी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
एस.सी.बी.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
एस.एम.एस.	शार्ट मैसेज सर्विस
यू.सी.बी.	अर्बन सहकारी बैंक
यू.आई.डी.ए.आई.	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यू.पी.	उत्तर प्रदेश
डी.एफ.एस.	वित्तीय सेवायें विभाग

1. पृष्ठभूमि

प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों पर निर्भर है। इसके बावजूद राज्य के किसान आर्थिक रूप से अत्यन्त दुर्बल हैं जैसा इस बात से पता चलता है कि किसानों की आय की दृष्टि से 18 प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश को 13वां स्थान[1] प्राप्त है।

उत्तर प्रदेश के किसानों की औसत मासिक आय मात्र रू0 4923 है। जोकि राष्ट्रीय औसत रू0 6426 प्रति माह से कम है और पंजाब के किसानों की औसत मासिक आय रू0 18059 का एक तिहाई है। उत्तर प्रदेश में औसत मासिक व्यय रू0 6230 है जिसके फलस्वरूप प्रदेश का किसान प्रत्येक माह रू0 1307 के घाटे में जा रहा है। कृषि पारिस्थिकीय तंत्र को सुधारने के प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार कई कदम उठा रही है जैसे– उत्पादकता में सुधार के लिये वैज्ञानिक तरीको को अपनाना, फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना, कौशल और अवस्थापना विकास, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहन देना इत्यादि। इन प्रयासों की तारतम्यता में और किसानों को समय से राहत देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के उन्नयन व सतत् विकास के लिए एक ऋण मोचन योजना तैयार की गयी है। यह योजना वस्तुतः लघु एवं सीमांत किसानों के सशक्तीकरण, उनकी कठिनाइयों को दूर करने एवं कृषि को नवस्फूर्ति प्रदान किये जाने हेतु किया जाने वाला निवेश है।

यह योजना लघु एवं सीमांत किसानों को आवश्यक क्षमता वृद्धि प्रदान करेगी और इसका लक्ष्य एक समेकित कार्ययोजना तैयार करना है ताकि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त यह योजना मा0 प्रधानमंत्री जी के "2022 तक किसानों की आय दो गुना करने" के विज़न को प्राप्त करने में एक सार्थक कदम है।

विभिन्न विकल्पों पर सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के दिनांक 31, मार्च, 2016 तक लिये गये फसली ऋणों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016–17 में उनके द्वारा किये गये प्रतिभुगतान को समायोजित करने के उपरांत अवशेष ऋण की धनराशि रूपये 01 लाख की सीमा तक मोचन के लिए प्रतिबद्ध है।

1. एन0एस0एस0ओ0 रिपोर्ट 2013

Final A

2. महत्वपूर्ण परिभाषायें

क्र0सं0	प्रयुक्त शब्द	परिभाषा
1–	सीमान्त किसान	किसान जो उत्तर प्रदेश में एक हेक्टेयर तक की कृषि भूमि का स्वामी हो और खतौनी में उसका नाम दर्ज हो जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्दर उसकी सभी कृषि भूमि सम्मिलित हैं।
2–	लघु किसान	किसान जो उत्तर प्रदेश में एक हेक्टेयर से दो हेक्टेयर तक की कृषि भूमि का स्वामी हो और उसका नाम खतौनी में दर्ज हो जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्दर उसकी सभी कृषि भूमि सम्मिलित है।
3–	फसल ऋण	फसल की पैदावार के लिए नकद उधार के रूप में ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला ऋण।
4–	वित्तमान	जैसा संबंधित जिलों की जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निश्चित किया जाय।
5–	ऋण प्रदाता संस्थायें	प्रदेश में कार्यरत एवं ऋण प्रदान करने वाली निम्न वित्तीय संस्थाएं (जिनमें उनकी उत्तर प्रदेश में शाखाएं सम्मिलित हैं)– • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक • सहकारी बैंक (अर्बन कोआपरेटिव बैंक को छोड़कर)
6–	भूलेख	उत्तर प्रदेश में भूमि अभिलेखों के अनुरक्षण (जैसे–भू स्वामी विवरण, कृषि भूमि विवरण आदि) के लिए एन.आई.सी. द्वारा विकसित वेब ऐप्लीकेशन (www.upbhulekh.gov.in/)
7–	तहसील	उप जिला को प्रदर्शित करने वाला प्रशासनिक खण्ड।
8–	खतौनी	भू स्वामी के अधिकारों के अभिलेख
9–	मोचन	शासनादेशसंख्या–134(ख)01(ख)/एस0वी0के0एन–6/2017, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 के अनुरूप मोचन।
10–	मोचन का प्रपत्र	ऋण प्रदाता संस्था के प्रबंधक के हस्ताक्षर से किसान को दिये जाने वाले समायोजित फसल ऋण खाता का विवरण।
11–	सूचना पत्र	किसानों को जिनकी मोचन–धनराशि अभी समायोजित नही हुई हैं, को उपयुक्त जागरूकता अभियान में जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किया गया पत्र।
12–	सशक्त समिति(एम्पावर्ड कमेटी)	शासनादेश संख्या–134(ख)01(ख)/एस0वी0के0एन–6/2017, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 तथा उक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 9, मई, 2017 के द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति

Final A

3. योजना

ऐसे लघु एवं सीमान्त किसानों को जिनके द्वारा फसल ऋण दिनांक 31 मार्च, 2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो, राज्य सरकार एक लाख रूपये तक की धनराशि का ऋण मोचन प्रदान करेगी।

ऋण मोचन धनराशि की गणना के प्रयोजन हेतु दिनांक 31 मार्च, 2016 को बकाया (ब्याज सहित) से वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि में किसान द्वारा आहरित धनराशि या नई स्वीकृतियों पर विचार किये बिना वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि (दिनांक 31 मार्च, 2016 के पश्चात् और दिनांक 31 मार्च, 2017 तक) में किसान से प्राप्त प्रतिभुगतान को घटा दिया जायेगा।

योजना के लिए मानदण्ड

- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले किसान जिनकी कृषि भूमि उत्तर प्रदेश में स्थित हो एवं उनके द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित बैंक शाखा से फसली ऋण लिया गया हो।
- किसान के स्वामित्व की विभिन्न भूमि का कुल क्षेत्रफल लघु किसान हेतु 02 हेक्टेयर व सीमांत किसानों हेतु 01 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा।
- ऐसा किसान जिसके फसली ऋण की रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के होने के कारण पुनर्संरचना कर दी गयी हो, इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित होगा।
- सरकार द्वारा राजस्व अभिलेखो के आधार पर पट्टे पर दी गयी भूमि पर खेती करने के लिए किसान द्वारा लिया गया फसली ऋण।

योजना से अनाच्छादित ऋण निम्नवत् हैं :–

- स्वयं सहायता समूह और संयुक्त दायित्व समूह द्वारा प्राप्त किया गया फसली ऋण।
- किसानों को कम्पनियों या अन्य कारपोरेट संस्थाओं द्वारा प्रत्याभूत ऋण भले ही ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा वितरित किया गया हो तथा अन्य संस्थायें जैसे– न्यास, साझीदारी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं/अर्बन कोआपरेटिव बैंकों द्वारा दिया गया ऋण।
- सदस्य किसानों को आगे उधार देने के लिए चीनी मिलों को दिया गया ऋण।
- किसी भी प्रयोजन के लिए दिया गया सावधि ऋण।

- मत्स्य या कृषि से संबंधित किसी प्रकार के क्रियाकलाप (फसली ऋण को छोड़कर) जिसके लिये ऋण या कैश क्रेडिट प्रदान किया गया है।

- किसी किसान द्वारा एक ही कृषि भूमि पर, एक ही उद्देश्य के लिए एक से अधिक बैंकों से लिये गये ऋण योजनान्तर्गत मोचन हेतु पात्र नही होगे। तथापि यदि किसान द्वारा एक से अधिक बैंकों से विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न कृषि भूमियों को बंधक रखे जाने के सापेक्ष ऋण लिया गया है, तो ऋण–मोचन अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा तक आनुपातिक रूप में ही अनुमन्य होगा।

- ऐसे प्रकरण जहां किसान क्रेडिट कार्ड संबंधी खाते से आहरित धनराशि का दुरूपयोग किया गया हो या उसको कृषि उद्देश्य के लिये प्रयोग न किया गया हो लेकिन अन्य किसी आवधिक/आवर्ती जमा खाते में जमा किया गया हो।

  योजना के किसी पक्ष का, जो इस योजना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है, का समाधान सशक्त समिति (इम्पावर्ड कमेटी) द्वारा किया जायेगा।

गैर निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए)

रिजर्व बैंक के मानकों के अनुरूप गैर निष्पादित आस्तियों (एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत फसल ऋण, उक्त ऋण मोचन योजना का हिस्सा होंगें।

गैर निष्पादित आस्तियाँ (एनपीए) हेतु अर्हता मानदण्ड

- गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के मामले में दिनांक 31 मार्च, 2016 तक लिए गये ऋण इस योजना के अधीन विहित अर्ह हैं।

- गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) सम्बन्धी खाता के लिए बकाया की गणना करते समय वसूली प्रभार अर्ह धनराशि का भाग नहीं होगें।

गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) ऋण हेतु मोचन योजना

- गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) ऋण के लिए मोचन की सीमा रूपये एक लाख तक होगी।

- बैंकों से वार्ता के उपरान्त एनपीए ऋण के मोचन हेतु एक पृथक योजना लायी जायेगी।

4. हितधारकों की भूमिका और दायित्व

हितधारकों की भूमिका और दायित्व निम्नवत् है :–

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) योजना के सफलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक सुविधायें और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अवस्थापना उपलब्ध करायेगा।

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) योजना के कार्यान्वयन के प्रयोजन से विविध हितधारकों को पहुँच प्रदान करने के लिए एक वेब पोर्टल (www.upkisankarjrahat.upsdc.gov.in) अभिकल्पित एवं विकसित करेगा। इस वेब पोर्टल को राज्य डाटा केन्द्र द्वारा होस्ट किया जायेगा और आवश्यक अवस्थापनायें भी राज्य डाटा केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी। वेब पोर्टल ऋण प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये डिजिटली हस्ताक्षरित डाटा को लेगा और संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा यथा प्रस्तावित जांच बिन्दुओं का भी समावेश करेगा।

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) शिकायत निवारण प्रणाली को अभिकल्पित, विकसित और अनुरक्षित करेगा जो किसानों की शिकायतों का निवारण करने का प्रयास करेगी।

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) पूरे राज्य में योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए सुविधा स्थापित करने में सहायता प्रदान करेगा जिसमे विविध हितधारकों के लिए प्रमाणित रिपोर्ट बनाना, वास्तविक समय में प्रगति अनुश्रवण और जिलाधिकारी के साथ वीडियों कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा और हितधारकों को लम्बित कार्यों को सूचित करने के लिए प्रचलित कार्य का एकीकरण सम्मिलित होगा।

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सभी सूचना प्रौद्यौगिकी संबंधी अवस्थापना के लिए कार्य संचालन निर्देशिका उपलब्ध करायेगा।

- उपरिलिखित अवस्थापना से संबंधित समस्त कार्य संचालन संबंधी पृच्छाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा योजना भवन, लखनऊ स्थित अपने मुख्यालय में स्थापित, नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से निपटाया जायेगा और देखा जायेगा।

- कन्ट्रोल रूम के लिए हार्डवेयर, मानवशक्ति, संचार उपकरण और नियन्त्रण कक्ष की सहायता के लिए अन्य प्रासंगिक सुविधाओं सहित अपेक्षित अवस्थापना सुविधा संस्थागत वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगीं। जिला स्तरीय समितियों की सहायता के लिए जिला सूचना अधिकारी को तकनीकी कार्य संचालन में सहयोग के लिए प्रासंगिक सहायता सहित दो तकनीकी व्यक्ति उपलब्ध कराने और क्षमता संर्वधन का कार्य संस्थागत वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा।

राज्य डाटा केन्द्र

- यह केन्द्र सम्पूर्ण अवस्थापना के लिए डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और अभिगम प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
- पोर्टल को होस्ट करने के लिए अवस्थापना सुविधा राज्य डाटा केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- राज्य डाटा केन्द्र द्वारा सिक्योरिटी ऑडिट की व्यवस्था की जायेगी।
- डाटा की समुचित संगतता संबंधी प्रावधान तथा दैनिक डाटा बैक–अप के साथ पोर्टल के सुचारु रूप से कार्य करने की व्यवस्था (24X7) राज्य डाटा केन्द्र सुनिश्चित करेगा।

ऋण प्रदाता संस्थायें

- एनआईसी द्वारा विकसित वेब पोर्टल पर ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा स्वयं उपलब्ध कराये गये सम्परीक्षित फसल ऋण डाटा (परिशिष्ट–1क, 1ख और 2 के अनुसार) की सटीकता, सत्यता और सम्पूर्णता सुनिश्चित करेंगीं जिसमें 'भूलेख' और 'आधार' से संबंधित वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया अतिरिक्त विवरण भी सम्मिलित होगा।
- डाटा का स्वामित्व ऋण प्रदाता संस्थाओं के पास होगा और डाटा में किसी भी विसंगति के लिए वे उत्तरदायी होंगी।
- ऋण प्रदाता संस्थायें उपयुक्त जागरूकता अभियान व अन्य अभियानों में किसानों से संबंधित अतिरिक्त विवरण समयबद्ध तरीके से इकट्ठा करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेंगी।

- ऋण प्रदाता संस्थायें अपने जिला समन्वयक अधिकारी के माध्यम से ऋण मोचन योजना के मानदण्ड के अनुसार अर्ह किसानों की पहचान करने के लिए जिला स्तरीय समिति में प्रतिभाग करेंगी और सहायता प्रदान करेंगी।

- सरकार से ऋण मोचन धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद ऋण प्रदाता संस्थायें किसानों के फसल ऋण खातों को योजना में विहित रीति के अनुसार समायोजित करेंगी साथ ही ऐसे किसानों को 'मोचन–विवरण/सूचना पत्र' तैयार कर उपलब्ध करायेंगी। बैंकों से जब भी ऐसे प्रमाण–पत्रों हेतु मांग की जायेगी वे उनको वितरित करेंगे।

- किसानों की शिकायतों के निस्तारण के लिए ऋण प्रदाता संस्थायें सक्रिय रूप से भाग लेगीं।

- ऋण प्रदाता संस्थायें जिला स्तरीय समिति को जमाओं का विवरण–पत्र समय से उपलब्ध करायेंगी (परिशिष्ट संख्या–5)।

- ऋण प्रदाता संस्थायें योजना के अन्तर्गत अर्ह किसानों एवं उनके चिन्हित ऋण खातों में जमा धनराशि की सत्यता के संबंध में जिला स्तरीय समिति को वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा सम्परीक्षित प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेंगी।

कृषि विभाग

- कृषि विभाग धनराशि के वितरण और उसके उपभोग का अनुश्रवण करेगा।

- कृषि विभाग समुचित जागरूकता अभियान के आयोजन के लिए जिला स्तरीय समिति के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

- कृषि विभाग शिकायतों के निवारण का अनुश्रवण करेगा।

- कृषि विभाग, वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध बजट का प्रबंधन और ऋण प्रदाता संस्थाओं को उसका अंतरण (जैसे और जब भी अपेक्षित हो) करेगा।

- कृषि विभाग एमआईएस के माध्यम से शासन को रिपोर्ट प्रेषित करेगा।

- कृषि विभाग इस योजना की समुचित सम्परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

संस्थागत वित्त महानिदेशालय

- महानिदेशालय ऋण प्रदाता संस्थाओं से डाटा संग्रह और तत्पश्चात् अभिलेख प्रबंधन के लिए सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा।
- महानिदेशालय ऐसे मामलों, जो योजना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं, को हल करने के लिए राज्य स्तरीय सशक्त (एम्पावर्ड) समिति की बैठकें बुलायेगा।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) को योजना से संबंधित जांच बिन्दुओं को उपलब्ध करायेगा।
- योजना से संबंधित वेब पोर्टल की स्थापना, योजना भवन, लखनऊ में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र नियंत्रण कक्ष तथा जिलों में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों में अवस्थापना सुविधा हेतु धनराशि (सभी आबद्ध लागत सहित) उपलब्ध करायेगा।

राजस्व विभाग

जिले में राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी लघु एवं सीमांत किसानों की पहचान स्थापित करने हेतु तथा जिला स्तरीय समिति को, जब उपयुक्त हो सहयोग प्रदान करेंगे।

जिला स्तरीय समिति (डीएलसी)

- समिति का स्वरूप निम्नवत् होगा, आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी समिति में किसी अन्य सदस्य को नामित कर सकता है।

क्र0	जिला स्तरीय समिति	भूमिका
1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ)	सचिव
3.	जिला कृषि अधिकारी (डीएओ)	सह–सचिव
4.	उप कृषि निदेशक (डीडीए)	सदस्य
5.	अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम)	सदस्य
6.	अग्रणी जिला प्रबन्धक (एलडीएम)	सदस्य
7.	सहायक निबन्धक/आयुक्त, सहकारी समितियां	सदस्य
8.	महाप्रबन्धक, सहकारी बैंक	सदस्य
9.	जिला समन्वयक (सभी बैंको से)	सदस्य
10.	जिला गन्ना अधिकारी (डीसीओ)	सदस्य

11.	जिला उद्यान अधिकारी (डीएचओ)	सदस्य
12.	जिला सूचना अधिकारी (डीआईओ)	सदस्य
13.	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डीआईओ), एनआईसी	सदस्य
14.	जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी	सदस्य

- योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के अनुश्रवण में जिला स्तरीय समिति की भूमिका रहेगी।

- जिला स्तर पर निर्णय लेने में जिला स्तरीय समिति की भूमिका रहेगी।

- कृषि विभाग से किसानों के फसल–ऋण सम्बन्धी डाटा प्राप्त होने के उपरान्त जिला स्तरीय समिति लघु एवं सीमांत किसानों की अर्हता के निर्धारण हेतु विचार–विमर्श करेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा किसानों की निर्णीत अंतिम सूची को समिति के सचिव एवं सह–सचिव को हस्तान्तरित किया जायेगा। समिति का सह–सचिव डाटा को डिजिटली हस्ताक्षरित करेगा तथा आवश्यक भुगतान आदेश संबंधित ऋण प्रदाता संस्था को निर्गत करेगा।

- जब भी पोर्टल पर किसानों से संबंधित विवरण प्राप्त होगा, जिला स्तरीय समिति किसानों के उस डाटा पर विचार–विमर्श करेगी। समिति की बैठकों के कार्यवृत्त भी अभिलेखीय उद्देश्य से वेब पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।

- योजना में उल्लिखित परिभाषानुसार किसानों के वर्गीकरण के निर्धारण के लिए जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी। इस संबंध में कोई भी निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा ही किया जायेगा।

- राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार, एनआईसी के वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किसानों की सूची के डाटा का विधिमान्यकरण (पुष्टीकरण) एवं मोचित धनराशि का अर्ह किसानों के खाते में अन्तरण जिला स्तरीय समिति का उत्तरदायित्व होगा।

- समुचित जागरूकता अभियान में कैम्प लगाकर सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से ऋण संबंधी पत्र (परिशिष्ट–क/ख) वितरित किए जायेंगें। इस संबंध में अलग से दिशा–निर्देश जारी किए जायेंगे। योजना के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी।

- जिला स्तरीय सर्ा   ानों के सत्यापन के लिए उत्तरदायी होगी जिन्होंने विभिन्न फसलों हेतु विभिन्न भूखण्डों को बंधक रखे जाने के सापेक्ष एक से अधिक खातो से ऋण प्राप्त किया है, उन्हें अधिकतम समेकित रूपया एक लाख की धनराशि की सीमा तक आनुपातिक आधार पर मोचन प्राप्त होगा।

मण्डल स्तरीय समिति (एमएलसी)

- समिति का स्वरूप निम्नवत होगा। आवश्यक होने पर मण्डलायुक्त समिति में किसी अन्य सदस्य को नियुक्त कर सकता है–

क्रमांक	मण्डल स्तरीय समिति	भूमिका
1.	मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2.	संयुक्त विकास आयुक्त	सचिव
3.	संयुक्त कृषि निदेशक	सह–सचिव
4.	मण्डल के जिलाधिकारी	सदस्य
5.	मण्डल के मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
6.	संयुक्त निबंधक/आयुक्त सहकारी समितियां	सदस्य
7.	उप गन्ना आयुक्त	सदस्य
8.	उप निदेशक, सूचना	सदस्य
9.	उप निदेशक, अर्थ एवं संख्यिकी	सदस्य
10.	मण्डल के जिलो में कार्यरत बैंकों के नियंत्रक (क्षेत्रीय/जोनल प्रबन्धक)	सदस्य

मण्डल स्तरीय समिति का उत्तरदायित्व

(क) जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित अनर्ह किसानों की सूची पर प्रत्यावेदन दिए जाने पर निर्णय लेना।

(ख) योजना के प्रावधानों एवं शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर निर्णय देना।

(ग) अपने–अपने मण्डल में योजना के कार्यान्वयन एवं निष्पादन का पर्यवेक्षण करना।

(घ) नीतिगत मामलों को राज्य स्तर पर सशक्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) को सम्प्रेषित करना।

राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी)

- प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन योजना संबंधी शासनादेश संख्या–134(ख)01(ख)/एस0वी0के0एन–6/2017, दिनांक 07 अप्रैल, 2017 तथा उक्त के क्रम में शासनादेश दिनांक 9, मई, 2017 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी।
- समिति का स्वरूप निम्नवत है। आवश्यक होने पर माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश समिति के सदस्यों की संख्या में परिर्वतन करने के लिये अधिकृत हैं।

क्रमांक	राज्य स्तरीय समिति	भूमिका
1.	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0शासन	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उ0प्र0शासन	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,कृषि, उ0प्र0शासन	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,राजस्व, उ0प्र0शासन	सदस्य
7.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,सहकारिता, उ0प्र0शासन	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,आई.टी.एवं इलैक्ट्रानिक्स, उ0प्र0शासन	सदस्य
9.	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0प्र0	सदस्य

राज्य स्तरीय सशक्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) का उत्तरदायित्व

(क) नीतिगत मामलों के संबंध में मण्डल स्तरीय समिति द्वारा संदर्भित प्रकरणो पर निर्णय लेना।

(ख) योजना के ऋण मोचन हेतु समस्त संगत पहलुओं पर विचार कर योजना का स्वरूप तैयार करना।

(ग) योजना हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था किये जाने के लिये प्रस्ताव देना।

(घ) योजना का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण सुनिश्चित करना।

जिलाधिकारी

- जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा।
- जिले में योजना के नियोजन, निष्पादन एवं कार्यान्वयन हेतु जिलाधिकारी उत्तरदायी होगा।

सूचना विभाग

- योजना के संबंध में प्रचार–प्रसार करने एवं जागरूकता बढ़ाने तथा समुचित जागरूकता अभियानों में सक्रिय भागीदारी हेतु सूचना विभाग उत्तरदायी होगा।

5. कार्यान्वयन प्रक्रिया

राज्य सरकार के फसली ऋण मोचन के निर्णय के संदर्भ में किसानों को पारदर्शी तरीके से लाभ के अन्तरण हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है–

(एक) योजना की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु एनआईसी द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल विकसित किया जायेगा। समस्त बैंकों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी उनको उपलब्ध कराये गये टेम्पलेट के अनुसार डाटा को पोर्टल पर अपलोड करेंगे (परिशिष्ट 1क एवं 1ख)।

(दो) बैंको द्वारा निर्धारित प्रारूप पर नियत समयावधि में प्रमाणीकरण के उपरांत, संस्थागत वित्त महानिदेशालय द्वारा उक्त डिजिटली सत्यापित बैंक डाटा को पोर्टल के माध्यम से कृषि विभाग के निदेशक के लॉग–इन में प्रेषित किया जायेगा।

(तीन) कृषि विभाग अपने नोडल अधिकारी (कृषि निदेशक) के माध्यम से संबंधित जिले का डाटा वहां की जिला स्तरीय समिति के सह–सचिव को पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायेगा, साथ ही साथ कृषि निदेशक, शासन को भी उक्त के बारे में सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त कृषि निदेशालय डाटा के उनकी लॉग–इन में प्राप्ति के तीन कार्यदिवसो के अन्दर सूचना का प्रेषण करेंगे तथा सम्बन्धित जिले की एनआईसी एवं जिला सूचना अधिकारी को भी सूचित करेंगे।

(चार) उक्त सूचना के प्राप्त होते ही जिला स्तरीय समिति के सह–सचिव उसे तत्काल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(पांच) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्न प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगाः–

(1) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि बैंकों द्वारा सभी संबंधित डाटा (परिशिष्ट–2) पोर्टल में 10 दिनों के अंदर प्रविष्ट कर दिया गया है।

(2) निर्धारित समयावधि में पोर्टल में उक्त प्रविष्टियों के पूर्ण होने के पश्चात् एनआईसी द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से समिति द्वारा उक्त डाटा का विश्लेषण किया जायेगा। डाटा के विश्लेषण उपरान्त ग्रामवार किसानों की सूची को पोर्टल पर उपलब्ध कराते हुए उसको सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। इस सूची में 'आधार – सीडेड', 'गैर आधार – सीडेड' तथा 'गैर भूलेख मैपिंग' वाले किसानों का विवरण होगा। आधार डाटा की पुष्टि यूआईडीएआई द्वारा की जायेगी।

(3) उक्त चरण–(2) में प्राप्त सूची को सह सचिव, जिला स्तरीय समिति पुष्टि हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दिशा–निर्देशों के अंतर्गत परिभाषित

मानदंडों के आधार पर समिति द्वारा उक्त चरण में अर्ह तथा अनर्ह किसानों की एक सूची समुचित सावधानी के साथ बनायी जायेगी। अनर्ह किसानों के प्रकरणों पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता वाली मण्डल स्तरीय समिति द्वारा प्रत्यावेदन दिए जाने पर निर्णय किया जायेगा। अर्ह किसानों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

(4) उपर्युक्त संस्तुतियों के आधार पर बैठक के कार्यवृत्त को संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। समिति द्वारा चिन्हित अर्ह किसानों की सूची वेब–पोर्टल पर समिति के सह–सचिव के डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से चिन्हांकित की जायेंगी। फसली ऋण वितरण हेतु बजट का प्राविधान कृषि विभाग के अनुदान में किया जायेगा। बजट की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उपबन्धित धनराशि वितरण हेतु कृषि निदेशक के निवर्तन पर उपलब्ध रहेगी जिसका वितरण निम्न रीति से किया जायेगा:–

(क) जिला कृषि अधिकारियों से आवश्यक धनराशि संबंधी अनुरोध (पोर्टल के माध्यम से) पर कृषि निदेशक द्वारा धनराशि की स्वीकृतियां प्रदान की जायेंगी। उक्त स्वीकृतियां जिला कृषि अधिकारियों से धनराशि हेतु अनुरोध प्राप्त होने के तीन कार्य–दिवसों के भीतर आवंटन हेतु उपनिदेशक, कृषि को जारी की जायेंगी।

(ख) जिला स्तरीय समिति किसानों के ऋण खातों के सापेक्ष ऋण मोचन की जाने वाली धनराशि हेतु अंतिम अनुमोदन प्रदान करेगी और वितरण के संबंध में अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा।

(ग) आहरण एवं वितरण अधिकारी बिल के माध्यम से आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित करेगा और उसका वितरण जिला मुख्यालय पर स्थित समस्त बैंकों की नोडल शाखाओं को करेगा। इस वितरण के साथ नोडल शाखाओं को अर्ह किसानों के विवरण की एक सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त धनराशि प्राप्त होने के तीन कार्य–दिवसों के भीतर नोडल शाखाओं को किसानों से संबंधित ऋण खातों में धनराशि को जमा करना होगा।

(घ) संबंधित नोडल शाखाओं को आहरण एवं वितरण अधिकारी को उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें इस आशय का

उल्लेख होगा कि नोडल शाखा द्वारा किसानों के खाते में धनराशियां जमा कर दी गयी हैं। यह प्रमाणपत्र धनराशि जमा करने के तीन

कार्य–दिवसों के भीतर प्रस्तुत करना होगा जिसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी को भी दी जायेगी।

(ड.) प्रत्येक नोडल शाखा में धनराशियों के वितरण हेतु एक खाता खोला जायेगा। खाता खोले जाने के संबंध में आवश्यक जानकारी बैंकों से प्राप्त की जायेगी।

(च) एन0आई0सी0 द्वारा तैयार किए गए पोर्टल के माध्यम से उक्त उपभोग प्रमाण पत्र बैंक के राज्य मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा। तदोपरान्त बैंक के राज्य मुख्यालय द्वारा हस्ताक्षरित इस उपभोग प्रमाण पत्र को कृषि निदेशक को प्रेषित किया जायेगा।

(5) किसानों के खातों में धनराशि के अन्तरण के सात दिनों के भीतर संबंधित बैंक शाखाओं में समिति द्वारा समुचित जागरूकता अभियान आयोजित किया जायेगा। इस जागरूकता एवं प्रचार अभियान के आयोजन के पूर्व समिति द्वारा सभी लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जायेगी और इसके लिए जागरूकता तथा प्रचार कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस अभियान के दौरान सूची के अनुसार सभी किसानों को अपनी–अपनी बैंक शाखाओं में जाकर अपने ऋण खाता संख्या से संबंधित मोचन/सूचना पत्र का विवरण प्राप्त करना होगा। किसानों द्वारा इन प्रमाण पत्रों को आन–लाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। जिला स्तरीय समिति द्वारा जागरूकता अभियान में कैम्प लगाकर उक्त पत्र वितरित किए जायेंगे। इस हेतु पृथक् से दिशा–निर्देश जारी किए जायेंगे।

बैंक ऐसे किसानों से, जिन्होंने सूचना पत्र (परिशिष्ट–ख) प्राप्त किया हो, से उनका 'आधार विवरण' अंकित करने हेतु सहमति पत्र(परिशिष्ट–ग) प्राप्त करेंगे। जिला स्तरीय समिति सभी अर्ह किसानों की, जिनके ऋण–मोचन की धनराशि अंतरित की गयी है, के धनराशि जमा–विवरण (स्क्राल) (परिशिष्ट–5 पर) समस्त बैंकों से प्राप्त करेगी तथा सुसंगत विवरण को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(6) ऐसे अर्ह किसानों का, जिन्होंने प्रथम जागरूकता अभियान में सूचना पत्र प्राप्त किया हो तथा अपना 'आधार विवरण' अंकित किए जाने हेतु सहमति

दी हो, उनका 'आधार विवरण' का अंकन सूचना पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय समिति के पर्यवेक्षण में बैंकों द्वारा एनआईसी के पोर्टल पर कर दिया जायेगा। ऐसे किसानों द्वारा अपना 'आधार विवरण' द्वितीय जागरूकता अभियान के आयोजन के पूर्व करा लेना होगा।

समिति द्वारा ऐसे अर्ह किसानों की सूची, जिन्होंने अपना 'आधार विवरण' का अंकन एक माह में पूरा करा लिया है, के लिए उपर्युक्त बिन्दु (3) से (5) यथा–उल्लिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। इसके पश्चात् द्वितीय जागरूकता अभियान आयोजित किया जायेगा।

(7) जिला स्तरीय समिति ऐसे सभी किसानों की सूची जिन्होंने सूचना पत्र प्राप्त किया है, लेकिन 'आधार विवरण' अंकन हेतु सहमति नहीं दी है, ऐसी सूची पोर्टल से प्राप्त करेगी। जिला स्तरीय समिति निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार उनकी अर्हता पर निर्णय लेगी। ऐसे अर्ह किसान पूर्व में प्रारम्भ की गयी प्रक्रिया के अनुसार अन्तिम जागरूकता अभियान के अन्तर्गत लगे कैम्प में ऋण–मोचन विवरण पत्र (परिशिष्ट–क) प्राप्त करेंगे।

(छ:) योजना के कार्यान्वयन से संबंधित किसी शिकायत का निवारण क्रमशः जिला स्तरीय समिति तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जायेगा।

(सात) इस योजना के कार्यान्वयन के पूर्व संस्थागत वित्त महानिदेशालय एवं कृषि विभाग संयुक्त रूप से सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करेंगे। इस प्रशिक्षण में एनआईसी द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी।

(आठ) इस पूरी योजना हेतु व्यापक जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रचार–प्रसार के लिए सूचना विभाग उत्तरदायी होगा।

(नौ) शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण हेतु एनआईसी द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जायेगा और जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा एक नियंत्रण कक्ष स्थापितकिया जायेगा। नियंत्रण कक्ष में सभी शिकायतों को शिकायत निवारण पोर्टल पर डाला जायेगा। शिकायत निवारण हेतु समिति जिला स्तर पर एक दूरभाष संख्या की व्यवस्था करेगी। जिलाधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह दिशा निर्देशों के अनुसार योजना का अनुश्रवण करेंगे तथा संस्थागत वित्त महानिदेशालय स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करना सुनिश्चित करेंगे। नियंत्रण कक्ष समय–समय पर रिपोर्ट सृजित कर अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा सशक्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

6. शिकायत निवारण पोर्टल

एनआईसी द्वारा फसल ऋण मोचन योजना से संबंधित शिकायत निवारण तथा योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु एक पोर्टल विकसित किया जायेगा।

1. इस पोर्टल में निम्न तीन प्रमुख इन्टरफेस होगे (अ, ब, स):–

   अ– <u>**किसान की शिकायत पंजीकरण के लिए**</u>: यह इन्टरफेस ओ0टी0पी0 (वन टाइम पासवर्ड) आधारित होगा। यहां किसान एक निश्चित प्रारूप पर अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकेंगे।

   ब– <u>**जिलाधिकारी के स्तर पर शिकायत का पंजीकरण**</u>: इस इन्टरफेस में जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायत एक निश्चित प्रारूप में दर्ज की जायेगी। यह इन्टरफेस पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रहेगा।

   स– <u>**अनुश्रवण रिपोर्ट हेतु इन्टरफेस**</u>: इस इन्टरफेस पर कोई उपयोग करने वाला (यूज़र) सत्यापित लाग–ईन आई डी से निम्नांकित स्तरों पर प्रगति रिपोर्ट देख सकेगा–

   (क) जिला स्तर पर

   (ख) मण्डल स्तर पर

   (ग) कृषि निदेशालय स्तर पर

   (घ) संस्थागत वित्त महानिदेशालय स्तर पर

   (ड.) शासन स्तर पर

2. **पोर्टल पर कृत कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया :–**

   (क) कोई भी किसान अपनी शिकायत या तो आनलाइन (इन्टरफेस–अ) या ऑफलाइन (जिलाधिकारी के माध्यम से) निम्नलिखित प्रारूप पर पंजीकृत करा सकता है:–

किसान का नाम	पिता का नाम	राजस्व ग्राम (ड्राप डाउन सूची)	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	राजस्व ग्राम से जुड़ी बैंक शाखा का नाम (ड्राप डाउन सूची)	गाटा संख्या जिसके सापेक्ष ऋण लिया गया है	ऋण खाता संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	पट्टाधारी		आधार संख्या		दूरभाष संख्या
									हॉ	नहीं	हॉ	नहीं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(ख) उक्त प्रारूप को भरने के बाद किसान को शिकायत की एक श्रेणी का चयन करना होगा जिससे इसे जिलाधिकारी के नियन्त्रण कक्ष में एक विशिष्ट श्रेणी में पंजीकृत किया जा सके।

(1) मेरे ऋण का मोचन नहीं किया गया है यद्यपि मेरा नाम सूची में है।

(2) मेरे ऋण का मोचन नहीं किया गया है, मेरा नाम सूची में नहीं है।

(3) मेरा नाम सूची में है, परन्तु मैंने मोचन प्रमाण–पत्र नहीं प्राप्त किया है।

(4) मेरा नाम सूचना पत्र की सूची में है परन्तु मुझे सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) मुझे ऋण मोचन प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु मेरा ऋण मोचित नहीं हुआ है।

(6) मेरे ऋण का मोचन हो गया है परन्तु मुझे ऋण मोचन प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(7) मुझे आधार के लिए अपना पंजीकरण कराना है, मैं ऋण मोचन के लिए अर्ह हूँ और मेरा नाम सूची में है।

(8) मैं आधार के लिए अपना पंजीकरण नहीं कराऊँगा, मैं ऋण मोचन के लिए अर्ह हूँ और मेरा नाम सूची में है।

(9) बैंकों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है।

(10) मेरा नाम सूची में है परन्तु बैंक ऋण मोचन प्रमाण–पत्र जारी नहीं कर रहा है।

(11) मेरा आधार कार्ड खो गया है, मेरा नाम सूची में है।

(12) कोई अन्य (कृपया विर्निदिष्ट करें)।

उक्त प्रारूपों के आधार पर जिलाधिकारी के लॉग–इन पर ग्रामवार और श्रेणीवार सूची सृजित की जायेगी। इन सूचियों के सत्यापन के पश्चात् ही जिलाधिकारी इन सूचियों में अर्ह पाये गये किसानों को आनलाइन अनुमोदित करेगा। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद अर्ह सूची मुद्रित की जायेगी और जिला स्तरीय समिति को उसकी कार्यवाही के लिए प्रस्तुत कर दी जायेगी। समिति योजना के दिशा–निर्देशों और कार्यान्वयन प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करेगी।

3. <u>पोर्टल पर प्रदर्शित अनुश्रवण रिपोर्ट (इन्टरफेस–स)</u>

(क) जिला स्तरीय रिपोर्ट :

(1) श्रेणीवार, ग्रामवार, तहसीलवार प्राप्त परिवादों/शिकायतों की संख्या और समाधान की गयी परिवादों/शिकायतों की संख्या।

(2) कुल शिकायताकर्ताओं में से अर्ह किसानों की कुल संख्या (जिन्होंने प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है)।

(ख) महानिदेशक, संस्थागत वित्त तथा निदेशक, कृषि के स्तर की रिपोर्ट :

(1) चरणवार चिन्हित किसानों की कुल संख्या की तुलना में ऐसे किसानों की संख्या जिन्होंने प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है।

जिला	जागरुकता एवं प्रचार कार्यक्रम की तिथि	मूल सूची में किसानों की कुल संख्या	किसानों की कुल संख्या जिन्होंने ऋण मोचन/ प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है	किसानों की कुल संख्या जिन्होंने सूचना पत्र प्राप्त किया है	किसानों की कुल संख्या जिन्होंने एनपीए प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है

(2) राज्य स्तर पर यह रिपोर्ट उसी प्रकार के प्रारूप में होगी जैसी जिला स्तर पर थी।

7. योजना के लिए वित्तीय संसाधन

प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु फसल ऋण मोचन योजना के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा अलग से की जाएगी।

योजना के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर योजना के प्रचार–प्रसार, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर ऑपरेटर, यात्रा व्यय एवं अन्य प्रकीर्ण व्यय किये जाने होंगे। इन मदों में होने वाले व्यय का आंकलन पूर्व में ही कृषि निदेशालय द्वारा कर लिया जायेगा जिसका परीक्षण कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा करते हुए विभागीय अनुदान में बजट व्यवस्था करायी जायेगी। योजना के कार्यान्वयन में लगे हुये कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को अलग से कोई मानदेय देय नहीं होगा।

8. किसानों के सशक्तीकरण हेतु रोडमैप

इस योजना का उद्देश्य ऋणग्रस्त किसानों को तात्कालिक राहत प्रदान किये जाने का है, साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में क्रेडिट अनुशासन की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु सम्यक् वातावरण सृजित करने और किसानों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए सक्रिय कदम उठाने हेतु प्रतिबद्ध है। उपर्युक्त के क्रियान्वयन हेतु कृषि विभाग द्वारा निम्नानुसार समुचित रणनीति तैयार की जा रही है।

1. **<u>क्रेडिट अनुशासन</u>** : इसके अन्तर्गत तैयार की जाने वाली रणनीतियाँ क्रेडिट अनुशासन हेतु आवश्यक आधारभूत नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिये जाने और विभिन्न प्रयासों यथा ऋण की नियमित अदायगी करने वाले किसानों का सम्मान करने अथवा एक पुरस्कार व्यवस्था के अन्तर्गत पुरस्कृत किए जाने के माध्यम से उन्हें जन–सामान्य के मध्य प्रचारित किए जाने पर केंद्रित होनी चाहिए। गैर सरकारी संस्थाओं की सहभागिता से सरकारी एजेंसियों द्वारा कृषक समुदाय के मध्य इस प्रकार की शिक्षा के लिए एक प्रणाली तैयार की जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा, जानकारी और सुनिश्चित लक्षित परिणाम के साथ फील्ड में अभियान का मसविदा तैयार किए जाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता है।

2. **<u>किसानों की आय में वृद्धि हेतु समेकित योजना</u>** :

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दो गुना किए जाने के लक्ष्य के दृष्टिगत किसानों की आय में वृद्धि हेतु एक समेकित कार्य–योजना की आवश्यकता है। हालांकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाएं पहले से ही विद्यमान हैं, परन्तु उनमें परस्पर सामंजस्य, पेशेवर परियोजना प्रबन्धन और लक्ष्योन्मुखी परिणाम का अभाव है। समेकित कार्य–योजना पारम्परिक कार्य–योजनाओं से भिन्न होगी क्योंकि इसका लक्ष्य अन्तर को पूरा करना, नये प्रयोगों को बढ़ावा देते हुए या अत्यन्त सफल रहे नये प्रयोगों को अंगीकृत करते हुए विभिन्न घटकों में सामंजस्य स्थापित करना होगा। इस कार्य–योजना में निजी क्षेत्र या गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संसाधनों की व्यवस्था भी आंकलित की जानी होगी। कार्य–योजनाओं को प्रभावोत्पादक होने के लिए आवश्यक है कि इनपुट से लेकर बाजार तक सम्पूर्ण कृषि वैल्यू चेन पर ध्यान दिया जाय। इस प्रकार की योजना पूरे प्रदेश के लिए एक सामान्य योजना होने के स्थान पर चयनित भू–संरचनाओं के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए और इसका प्रबन्धन निजी सहभागिता के साथ पेशेवर तरीके से किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा आगामी पांच वर्षों में किसानों की आय दो गुना करने हेतु एक रोडमैप तैयार किया गया है।

इस रोडमैप में सम्मिलित कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्नवत् हैं––

क. उत्पादन में वृद्धिं के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाना : जैसे माइक्रो सिंचाई, प्रमाणित बीजों का उपयोग।

ख. फसल नियोजन, विविधता तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन।

ग. फसल–उत्पादन के बाद प्रबन्धन में कूड़ा–करकट को कम करने के लिए उपाय।

घ. बंजर भूमि को फसल योग्य भूमि बनाकर कृष्य भूमि के क्षेत्र में वृद्धि।

ङ. कौशल विकास और कृषि अवस्थापना संबंधी विकास।

च. छटाई, वर्गीकरण, पैकिंग आदि द्वारा मूल्य सवंर्धन।

छ. खाद्य प्रसंस्करण को राज्य में बढावा देना।

ज. फल और सब्जी बाजार का विकास और मण्डियों को ई–NAM से जोड़ना।

झ. फ्लोरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एवं पशुपालन आदि को बढ़ावा देना।

ञ. फसल–उत्पादन के पश्चात् प्रबन्धन और भण्डारण।

9. योजना में उपांतरण और स्पष्टीकरण

शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2017 द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश योजना के संबंध में किसी उपांतरण, परिवर्तन, संशोधन करने या स्पष्टीकरण जारी करने के लिए प्राधिकृत होंगें।

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1क : लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु डाटा टेम्पलेट

लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु डाटा टेम्पलेट

बैंक	शाखा	शाखा का आईएफएस कोड	जिला	किसान (कर्जदार) का, नाम	श्रेणी अजा/ अजजा/ अन्य	ग्राहक आईडी संख्या	बचत खाता संख्या	पता	क्या लघु/ सीमांत किसान हैं	फसली ऋण केसीसी खाता संख्या	ऐक्टिविटी/ योजना कोड	लिमिट स्वीकृति की तिथि	31.03.2016 तक अवशेष	1.04.2016 से 31.03.2017 तक खाते में कुल केडिट	भूमि का विवरण जिसके विरुद्ध केसीसी/केडिट लिमिट दी गयी है					आधार संख्या	मोबाइल संख्या
															तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खतौनी के अनुसार गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेअर में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

परिशिष्ट 1ख : लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु डाटा टेम्पलेट–एनपीए

लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु डाटा टेम्पलेट–एनपीए

बैंक	शाखा	शाखा का आईएफएस कोड	जिला	किसान (कर्जदार) का नाम	श्रेणी अजा/अजजा/अन्य	ग्राहक आईडी संख्या	बचत खाता संख्या	पता	क्या लघु/सीमांत किसान हैं	फसली ऋण केसीसी खाता संख्या	ऐक्टिविटी/योजना कोड	लिमिट स्वीकृति की तिथि	एनपीए खातों का विवरण			भूमि का विवरण जिसके विरुद्ध केसीसी/केडिट लिमिट दी गयी है					आधार संख्या	मोबाइल संख्या
													एनपीए घोषित किए जाने की तिथि	31.03.2016 को ब्याज सहित अवशेष	एनपीए की श्रेणी	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खतौनी के अनुसार गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेअर में		

Final A

परिशिष्ट 2 : भूलेख डाटा टेम्पलेट

भूमि का विवरण जिसके विरुद्ध केसीसी/क्रेडिट लिमिट दी गयी है						आधार संख्या	मोबाइल संख्या
तहसील	ग्राम	खाता संख्या	खतौनी के अनुसार गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेअर में	फसली वर्ष		

परिशिष्ट 3 : एनआईसी डाटा चेक हेतु बिन्दु

कृषि निदेशालय से जनपद का डाटा प्राप्त करने के पश्चात जिला कृषि अधिकारी द्वारा अपने लाग–इन से पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित डाटा चेक ऑनलाइन किया जायेगा। डाटा वैलिडेशन हेतु उसके लाग–इन में डाटा वैलिडेशन लिंक उपलब्ध होगा। उसके द्वारा सभी वैलिडेशन चेक करने के पश्चात सभी चेक बिन्दुओं के लिए त्रुटियों की सूचियां जेनरेट होंगी। त्रुटियों की सभी सूचियां एक्सेल फाइल में डाउनलोड हेतु उपलब्ध होंगी। त्रुटियों की यह सूचियां मुद्रित कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष उपयुक्त निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेंगी:–

- केसीसी खाता संख्या रिक्त या अमान्य है।
- किसान का नाम रिक्त है।
- IFS कोड रिक्त या अमान्य है।
- योजना/एक्टिविटी कोड रिक्त है।
- बकाया धनराशि रिक्त या शून्य या ऋणात्मक है।
- बकाया धनराशि रू0 3.00 लाख या उससे अधिक है।
- प्रति भुगतान की धनराशि रिक्त या शून्य।
- पता रिक्त है।
- ग्राहक आईडी रिक्त है।
- लिमिट स्वीकृति की तिथि रिक्त या इनवैलिड है।
- अभिलेखों में दोहराव (बैंक का नाम, शाखा का नाम केसीसी संख्या, बकाया धनराशि)।
- डुप्लीकेट आधार संख्या।
- बकाया ऋण रू0 3.00 लाख या उससे अधिक।
- एक से अधिक बैंकों से धन लेने वाले कर्जदारों की सूची।
- फसली ऋण से भिन्न एक्टिविटी।

परिशिष्ट 4 : बैंक प्रमाण–पत्र

दिनांक : दिन / माह / वर्ष

पत्र संख्या..............

बैंक प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पोर्टल पर उपलब्ध ऋण मोचन योजना के आंकड़ों की जॉच हमारे द्वारा कर ली गयी है और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–1815 / 06 / एस0आई0एफ0 / 2017 / ए0जी0आर0 दिनांक 24 मई, 2017 के अनुपालन में बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों और पोर्टल पर उपलब्ध ऑकड़ों में कोई अन्तर नहीं है।

नोडल अधिकारी,

हस्ताक्षर

नाम

बैंक की सील

परिशिष्ट 5 : क्रेडिट – विवरण पत्र

दिनांक :

जिला : बैंक का नाम :

शाखा : आईएफएस कोड :

क्रमांक	किसान का नाम	केसीसी खाता संख्या	सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि (रुपयों में)	किसान के खाते में धनराशि क्रेडिट हुई (हॉं / नहीं)	क्रेडिट की तिथि

शाखा–सार पत्र

किसान के कुल खातों की संख्या जिनमें सरकार से धनराशि प्राप्त हुई (अ)	
किसान के खातों में क्रेडिट के लिए बैंक शाखा में प्राप्त कुल धनराशि (ब)	
कुल खातों की संख्या जिनमें धनराशि क्रेडिट हुई (स)	
कुल क्रेडिट की गयी धनराशि (द)	
खातों की संख्या जिनमें धनराशि क्रेडिट नहीं हुई (अ–स)	
किसान के खातों में क्रेडिट हेतु शाखा स्तर पर शेष कुल धनराशि (ब–द)	

जिले में बैंक के नोडल अधिकारी का नाम मोबाइल संख्या हस्ताक्षर

नोटः प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा यह विवरण अपने जिला समन्वयक को जिला स्तरीय समिति हेतु भेजा जायेगा। जिला स्तरीय समन्वयक अपनी समस्त शाखाओं का संकलित विवरण समिति को प्रस्तुत करेंगे। इस परिशिष्ट की एक प्रति जिला कृषि अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी, जो कि अपने लाग–इन के माध्यम से यह विवरण पोर्टल पर अपडेट करेंगे। जब सभी बैंक शाखाओं की यह सूचना पोर्टल पर प्रविष्ट हो जाएगी, तभी किसानों के खाते में धनराशि क्रेडिट किए जाने की पुष्टि प्रदेश स्तरीय रिपोर्टों में की जाएगी।

परिशिष्ट– क : ऋण मोचन का विवरण पत्र

ऋण मोचन का विवरण पत्र

(बैंक के लेटर हेड पर)
(किसान का नाम और पता)
(केसीसी खाता संख्या. ....)

प्रिय किसान भाई,

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन के संबंध में लिये गये निर्णय के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि 'फसली ऋण मोचन योजना' के अन्तर्गत रू0.......... की धनराशि आपके केसीसी खाता संख्या................ में क्रेडिट कर दी गयी है।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

किसी भी जिज्ञासा हेतु संपर्क करें:–

जिला स्तरीय समिति : टोल फ्री नम्बर..................

जिलाधिकारी।

परिशिष्ट ख : ऋण से संबंधी सूचना पत्र

ऋण संबंधी सूचना पत्र

(जिलाधिकारी के लेटर हेड पर)
(लाभार्थी का नाम और पता)
(केसीसी खाता संख्या.........)

प्रिय किसान भाई,

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संकटग्रस्त किसानों को तात्कालिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए ऋण मोचन योजना बनायी गयी है। योजना के सहज एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु सरकार इस योजना को चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित कर रही है।

हमे यह बताते हुए हर्ष है कि प्रथम चरण में उन किसानों के ऋण मोचित किये गये हैं जिनके ऋण खाते 'आधार–सीडेड' हैं। योजना के अनुसार आपका ऋण (खाता संख्या.......... बकाया रूपया........) भी विचाराधीन है। इस पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।

उक्त के संदर्भ में हम निम्नानुसार आपसे सहयोग की आकांक्षा रखते हैं:–

- यदि आपके पास **'आधार'** है तो कृपया अपने संबंधित बैंक शाखा से सम्पर्क कर अपने खाते को **'आधार'** से लिंक कराने का कष्ट करें।
- यदि आपके पास **'आधार'** नहीं है तो कृपया अपने जनपद के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करने का कष्ट करें ताकि समिति द्वारा योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार आपके ऋण खाते के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

सधन्यवाद।

भवदीय,

जिलाधिकारी

परिशिष्ट ग : 'आधार' सहमति पत्र

अ : मैं एतद्द्वारा अपनी आधार संख्या................................ को अपने केसीसी ऋण खाता संख्या.......................................से लिंक करने की सहमति देता हूँ।

ब : मेरे पास अपना 'आधार' नहीं है। मैंने 'आधार–पंजीकरण' हेतु आवेदन किया है। अपनी 'आधार' संख्या प्राप्त होने पर मै इसे अपने ऋण खाता से लिंक कराने हेतु बैंक (बैंक का नाम, शाखा) में उपलब्ध करा दूंगा।

स : अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)।

(नोटः जो लागू न हो, उसे काट दिया जाय।)

हस्ताक्षर

नाम

पिता का नाम

मोबाइल नम्बर

केसीसी संख्या